न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः—05 / 2022

1. साहबराम पुत्र श्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी चक—2 एनडी(ए) तहसील अनूपगढ़ जिला—श्रीगंगानगर (राज.)

—— प्रार्थीगण

बनाम्

1. महावीर पुत्र श्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी चक—2 एनडी(ए) तहसील अनूपगढ़ जिला—श्रीगंगानगर (राज.)
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट बाबत् रास्ता

::निर्णय:: दिनांकः—27.02.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि वाके चक—2 एनडी(ए) तहसील अनूपगढ़ मुरब्बा नं.—32 पत्थर सं.—257 / 474 का किला नं—1, 10, 11, 20 / 2 में 0.904 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबंदी की प्रतिलिपी संलग्न है। अप्रार्थी के नाम से इसी चक—2 एनडी(ए) तहसील अनूपगढ़ में मुरब्बा नं.—32 पत्थर सं.—257 / 474 के किला नं—2 ता 9, 12 ता 15, 16 / 1, 17 / 1, 18 / 1, 19 / 1 कुल 3.6140 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है तथा ना ही कोई रास्ता मौका पर स्वीकृत है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु कोई भी रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी को बहुत ही ज्यादा परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अप्रार्थी की कृषि भूमि के किला नं.—5, 6, 15, 16, के पूर्व दिशा में मौका पर रास्ता चल रहा है जो स्वीकृत है तथा रास्ता आगे जाकर मुख्य सड़क से जुड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी की कृषि भूमि चक—2 एनडी (ए) तहसील अनूपगढ़ में मुरब्बा नं.—32 पत्थर सं.—257 / 474 के किला नं.—16, 17, 18, 19 में से 1—1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है ताकि प्रार्थी अप्रार्थी के किला नं.—16, 17, 18, 19 में से रास्ता स्वीकृत होने के बाद उक्त रास्ता से होकर आगे चल रहे रास्ता से जुड़ कर मुख्य सड़क पर आ जा सकता है तथा उक्त रास्ता ही सबसे सुगम व सुविधाजनक है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त कृषि भूमि में फसल बिजांद कर रखी है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए मौका पर रास्ता स्वीकृत नहीं होने के कारण प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तथा रास्ता के अभाव में प्रार्थी को अपनी कृषि मण्डी में लाने में भारी असुविधा होती है। इसलिए प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी कृषि भूमि में रास्ता मंजूर करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक—2 एनडी(ए) तहसील अनूपगढ़ में मुरब्बा नं.—32 पत्थर सं.—257 / 474 के किला नं—16,17,18,19 में से 1—1 बिस्वा रास्ता मंजूर करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया है। रास्ता में आने वाली भूमि की ऐवज में प्रार्थी अप्रार्थी को भूमि क मूल्य देने को तैयार है। प्रार्थी ने दिनांक 23—3—2022 को अप्रार्थी सं.—1 से मिल कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.27 16:36:48 IST
Reason: SelfAttested

उसकी कृषि भूमि चक–2 एनडी(ए) तहसील अनूपगढ़ में मुरब्बा नं.–32 पत्थर सं–257/474 के किला नं.–16,17,18,19 में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। तत्पश्चात प्रार्थी अप्रार्थी सं.–2 से मिल कर अप्रार्थी की कृषि भूमि में से चाहे रास्ता का अंकन करने बाबत निवेदन किया तो अप्रार्थी सं.–2 ने सक्षम अधिकारी के समक्ष चाराजोही करने का कहा। जिस पर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने बाबत पेश किया जा रहा है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से अधिवक्ता श्री साहबराम ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी की कृषि भूमि के किला नं.–5,6,15,16 के पूर्व दिशा में मौका पर रास्ता चलना स्वीकार हैं। क्योंकि प्रार्थी ने कृषि भूमि वाके चक–2 एनडी(ए) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–32 पत्थर सं–257/474 के किला नं.–16,17,18,19 में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा गया है जबकि उपरोक्त रकबा जिसमें से रास्ता चाहा गया है वह रकबा मुझ अप्रार्थी सं.–1 अकेले का ना होकर दानाराम पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार के नाम से राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है तथा प्रार्थी ने दानाराम को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि दानाराम प्रकरण में आवश्यक व उचित पक्षकार है। पक्षकारों के अभाव में भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है। बल्कि प्रार्थी दानाराम की कृषि भूमि किला नं.–21 ता 25 से बट पर रास्ता स्वीकृत करवा सकता है जो भूमि के बाहर–2 है तथा यही रास्ता विकल्प में रूप में उपलब्ध है। प्रार्थी मुझ अप्रार्थी की कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने का कतई अधिकारी नहीं है बल्कि प्रार्थी दानाराम की कृषि भूमि किला नं.–21 ता 25 की बट पर से रास्ता स्वीकृत करवा सकता है जो भूमि के बाहर–2 है तथा यही रास्ता विकल्प में रूप में उपलब्ध है जो सुलभ व सुगम रास्ता है तथा उक्त रास्ता से अप्रार्थी की कृषि भूमि में किसी प्रकार का विभाजन भी नहीं होगा। प्रार्थी द्वारा जिस भूमि से रास्ता चाहा गया है वह भूमि अप्रार्थी सं.–1 अकेले की ना होकर दानाराम के साथ संयुक्त रूप से है तथा प्रार्थी ने दानाराम को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है।

प्रकरण में तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट चक 2 एन डी ए पत्थर नं.–257/474 मुरब्बा नं.–32 के किला नं.–1,10,11/0.759,20/0.145 कुल 0.904 हैक्टर कमाण्ड साहबराम पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार साकिन देह खातेदार रहन पीएनबी अनूपगढ़ दर्ज रिकॉर्ड है। पत्थर नं.–257/474 मुरब्बा नं.–2ता9/2 का 0.24, 12ता15/1.012, 16/0.144, 17/0.144, 18/0.145, 19/0.145 कुल 3.614 हैक्टर महावीर पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार साकिन देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी मौका पर उपस्थित नही [illegible] कुम्हार मौका पर उपस्थित मिला जिसने अप्रार्थी का अन्यत्र जाना बताया व [illegible] 5 बी डब्ल्यु एम बीरमाना तहसील सूरतगढ़ में रहना बताया। वांछित रास्ता [illegible] के लिए नही होकर आवयश्क है। अप्रार्थी के किला [illegible] है व धारित रकबा में से1–1 बिस्वा रास्ता चाहा गया है। वांछित रास्ता लघुतम व नि[illegible]म है।

तदपंरात बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वांछित रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया तथा यह भी निवेदन किया कि तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा प्रार्थी की भूमि के कोई मार्ग विद्यमान नहीं होने एवं वांछित मार्ग

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.27 16:36:48 IST
Reason: SelfAttested

के अत्यान्तिक आवश्यकता का, लघुत्तम व सुगम होने की रिपोर्ट दी है अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वांछित मार्ग स्वीकृत किया जावे।

अंततः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी की कृषि भूमि को कोई स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है एवं उक्त बाबत् रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता होने के कारण, लघुत्तम होने के कारण एवं केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं होने के कारण स्वीकृत किया जाना समीचीन है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को अन्य काश्तकार की भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251"क" राज.काश्त. अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक–2 एनडी(ए) तहसील अनूपगढ़ मुरब्बा नं.–32 पत्थर सं.–257/474 का किला नं–1, 10, 11, 20/2 में 0.904 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा में आवागमन के लिए रास्ते की आवश्कता को परमावश्यक मानते हुए एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हो जाने के आधार पर अनावेदक की कृषि भूमि इसी चक–2 एनडी (ए) तहसील अनूपगढ़ में मुरब्बा नं.–32 पत्थर सं.–257/474 में अप्रार्थी सं. –01 के नाम दर्ज किला नं.–16, 17, 18, 19 के खातेदारी रकबा में 2–2 बिस्वा चौड़ाई का रास्ता (किला नं.–15,14,13,12 के चिपता) स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता की एवज में आयी भूमि के बदले में अप्रार्थी को भुगतान करने हेतु राज.काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है एवं उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं अप्रार्थीगण को प्रतिकर राशि का भुगतान उनके रास्ता में आयी भूमि के मुताबिक किया सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Tarania
Date: 2023.03.27 16:36:48 IST
Reason: SelfAttested

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़